ऐतिहासिक अनुसंधान के द्वितीयक स्रोतों से तात्पर्य उन स्रोतों से है जिनका लेखन, रचना या प्रस्तुतीकरण ऐसे व्यक्तियों के द्वारा किया गया है जिन्होंने न तो सम्बन्धित घटनाक्रम में भाग लिया था और न ही उसके वास्तविक प्रत्यक्षदर्शी थे। ये स्रोत वस्तुत: दूसरों से सुने विवरण या दूसरों के द्वारा रचित सामग्री या दूसरों की समीक्षा के आधार पर रचित व प्रस्तुत सामग्री पर आश्रित होते हैं। अप्रतिभागीय व अप्रत्यक्षदर्शीय व्यक्तियों के द्वारा प्रस्तुत किया गया किसी घटनाक्रम का यह विवरण अ– साक्ष्यित (छवद॔पजदमेमक) प्र.ति का होता है एवं इसी कारण से इसकी विश्वसनीयता प्राय: कम होती है। द्वितीय स्त्रोतों के अन्तर्गत मुख्यत: निम्न सामग्री आती है

(i) पाठ्य–पुस्तकें, सन्दर्भ पुस्तकें तथा विश्वकोष

(ii) ऐतिहासिक समालोचनाऐं तथा विवेचनाएँ

(iii) अनुसंधान पत्रिकाएँ तथा अनुसंधान प्रतिवेदन

(iv) पौराणिक आख्यान, लोककथाएँ तथा उपाख्यान

ऐतिहासिक प्रदत्तों की समालोचना
(Criticism of Historical Data)

ऐतिहासिक अनुसंधान के दौरान प्राथमिक एवं द्वितीय स्रोतों से आधार सामग्री तथा प्रदत्तों के संकलन के उपरान्त उसकी समालोचना की जाती है। प्रत्यक्ष अवलोकन के द्वारा संकलित न किये जाने एवं पुनरावृत्ति की सम्भावना न होने के कारण विविध स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं की प्रमाणिकता की जाँच करना आवश्यक होता है। प्रत्यक्षदर्शियों, प्रतिभागियों एवं अन्य व्यक्तियों के द्वारा प्रस्तुत वृत्तान्तों से प्राप्त सूचनाओं की विश्वसनीयता की जाँच करके सार्थक प्रमाणिक व विश्वसनीय प्रदत्तों को अनुचित असार्थक व भ्रामक प्रदत्तों से अलग करना परम आवश्यक होता है। ऐतिहासिक प्रदनों की प्रमाणिकता की जाँच उसके कड़े मूल्यांकन व समालोचना के द्वारा की जाती है। इस जाँच पर खरा उतरने के बाद ही में प्रदत्त ऐतिहासिक साक्ष्य व स्वरूप ग्रहण करते हैं एवं जिनके विश्लेषण व व्याख्या से परिकल्पना का परीक्षण करके, अनुसंधान निष्कर्ष निकालना सम्भव हो पाता है। अत: कहा जा सकता है कि ऐतिहासिक साक्ष्यों से तात्पर्य विश्वसनीय तथा प्रयोग योग्य आधार सामग्री से होता है। प्राथमिक एवं द्वितीय स्रोतों से प्राप्त आधार सामग्री की समालोचना की प्रक्रिया को दो प्रकारों वाह्य समालोचना तथा आन्तरिक समालोचना में बाँटा जा सकता है। आगे समालोचना के इन दोनों प्रकारों की चर्चा की जा रही है।

बाह्य समालोचना (¼External Criticism) –: बाह्य समालोचना का उद्देश्य संकलित आधार सामग्री की मौलिकता (Originality) या प्रमाणिकता (Trustworthiness) को सुनिश्चित करना होता है। इसके अन्तर्गत प्रदत्तों के बाहरी स्वरूप की .ष्टि से उनके उचित अथवा अनुचित होने की जाँच की जाती है। इससे ज्ञात हो जाता है कि कोई आधार सामग्री जो दिख रही है अथवा जो होने का दावा कर रही है इ्या वास्तव में वही है। यह दस्तावेज की मौलिकता (Genuineness) को सुनिश्चित करके अनुसंधानकर्ता को धोखे का शिकार होने से बचाता है। वस्तुत: बाह्य समालोचना आधार सामग्री से मिल रही सूचनाओं पर ध्यान न देकर केवल आधार सामग्री के रचनाकार, काल व परिस्थिति की दृष्टि से उसकी सत्यता या पवित्रता को स्थापित करने का प्रयास होता है। उदाहरण के लिए यदि सन् 1857 की क्रान्ति पर अनुसंधान कर रहे अनुसंधानकर्ता को उस समय का कोई सरकारी पत्र मिलता है तो बाह्य समालोचना के द्वारा वह जाँच करना चाहेगा कि क्या वह दस्तावेज वास्तव में उस समय का है जिस समय का होने का दावा किया जा रहा है अथवा क्या यह दस्तावेज उस व्यक्ति के द्वारा लिखा गया है जिसके द्वारा लिखे होने का दावा किया गया है। दूसरे शब्दों में बाह्य समालोचना दस्तावेज के फर्जी (Faled) होने की शंका का समाधान करती है। किसी दस्तावेज/ अवशेष की आयु व रचियेता का नाम स्थापित करने के लिए प्रयुक्त कागज, स्थाही कपड़ा, परस्पर, धातु

या अन्य सामग्री की तत्कालीन उपलब्धता, भाषा–शैली हिज्जे व लिपि आदि की तत्समय प्रचलनता, सम्बन्धित व्यक्ति के हस्ताक्षर, हस्तलिपि व ग्राह्यता आदि की दृष्टि से परीक्षण किया जाता है। इसमें रेडियो कार्बन परीक्षण, रासायनिक परीक्षण, तथा भाषिक / कलात्मकता परीक्षण जैसे आधुनिक संसाधनों व तरीकों का उपयोग सम्मिलित रहता है। इनके माध्यम से प्रदत्तों को तैयार करने में की गई जालसाजी, कपट, विरूपता या .त्रिमता जैसे तथ्य प्रकाश में आ जाते हैं।

आन्तरिक समालोचना (Internal Criticism) – ऐतिहासिक प्रदत्तों की बाह्य समालोचना के द्वारा आधार सामग्री की प्रमाणिकता स्थापित हो जाने के उपरान्त उनकी आन्तरिक समालोचना की जाती है। आन्तरिक समालोचना से तात्पर्य उसमें वर्णित या परिलक्षित पाठ्य वस्तु की विश्वसनीयता, सत्यता व प्रमाणिकता की जांच करने से होता है। अर्थात् आन्तरिक आलोचना के द्वारा किसी ऐतिहासिक प्रदत द्वारा संसूचित किये जा रहे विवरण या सूचना के अर्थ, निहितार्थ व विश्वसनीयता का मूल्यांकन किया जाता है जिससे ज्ञात हो सके कि यह विवरण या सूचना तत्समय के ऐतिहासिक तथ्यों का वै प्रतिनिधित्व (Valid Representation) कर रही है अथवा नहीं।

प्राय: ऐसा भी होता है कि किसी आधार सामग्री का स्रोत तो विश्वसनीय व प्रमाणिक होता है, परन्तु उससे प्राप्त सूचनाएं पक्षपातपूर्ण (Biased), अप्रमाणिक (Un&authenticated) तथा अन- यथार्थ (Un accurate) भी हो सकती है। अत ऐतिहासिक अनुसंधानकर्ता को आधार सामग्री के द्वारा संसूचित की जा रही सूचनाओं के विश्वसनीय वैधता व पक्षपातरहित होने के सम्बन्ध में आश्वस्त होना पड़ता है। इसके लिए जहाँ लेखक को प्राप्त घटना की जानकारी, उसकी सत्यनिष्ठा, उसकी दक्षता, उसकी अभिनति, उस पर दबाव, उसका लालच, उसकी स्मरण शक्ति, उसके पूर्वाग्रह आदि के सापेक्ष आधार सामग्री की विषय-वस्तु का मूल्यांकन किया जाता है वहीं समकालीन अन्य स्रोतों से प्राप्त जानकारी से उसकी तुलना भी की जाती है। लेखक के निष्पक्ष, सक्षम व सत्यनिष्ठ होने तथा अन्य प्रमाणिक तथ्यों से प्रत्यक्ष अथवा प्रकारान्तर से उसकी पुष्टि होने पर ही उस आधार सामग्री की विषय-वस्तु को विश्वसनीय स्वीकार किया जाता है।

ऐतिहासिक आधार सामग्री की समालोचना में विचारार्थ प्रश्न
(Questions to be considered in Criticism of Historical Evidences)

वाह्य समालोचना (*External Criticism*)	आन्तरिक समालोचना (*Internal Criticism*)
1. आधार सामग्री कब, कहाँ व किसे मिली है ?	1. आधार सामग्री में प्रयुक्त शब्दों व कथनों का क्या अर्थ है?
2. आधार सामग्री का लेखक या सर्जक कौन था ?	2. क्या प्रयुक्त कथन वि वास योग्य हैं?
3. आधार सामग्री लेखक का मौलिक कार्य है या उसकी प्रतिलिपि है?	3. लेखक / सर्जक की तिष्ठा, व्यक्तित्व व चरित्र कैसा था ?
4. क्या आधार सामग्री आंशिक है अथवा पूर्ण है?	4. लेखक / सर्जक की योग्यता, क्षमता व रुचि क्या थी?
5. क्या आधार सामग्री की हस्तलिपि लेखक के अन्य कार्यों से मेल खाती है?	5. क्या लेखक / सर्जक ने घटनाओं को स्वयं देखा था या अन्यों से सुना था ?
6. क्या आधार सामग्री में प्रयुक्त वर्ण विन्यास व्याकरण, लिपि, भाषा आदि तत्समय चलित था ?	6. लेखक / सर्जक ने घटना के घटित होने के कितने समय उपरांत लिखा गया ?

7 क्या आधार सामग्री में प्रयुक्त सामग्री अर्थात् कागज, कपड़ा, पत्थर, धातु, स्याही, पैंट, लकड़ी आदि की सुविधा तत्समय उपलब्ध थी ?	7. क्या लेखक / सर्जक ने घटना का विवरण टीप के आधार पर लिखा था या स्मृति के आधार पर लिखा था ?
8. क्या आधार सामग्री तत्समय ज्ञात सम्बन्धित तथ्यों, अन्य व्यक्तियों के विवरणों व उपलब्ध तकनीकी आदि से साम्य रखती है?	8. क्या लेखक घटनाओं को देखने के लिए शारीरिक व मानसिक रूप से सक्षम था ?
	9 क्या लेखक किसी दबाव, भय, विद्वेष, या लालच से ग्रसित था ?
	10. क्या लेखक का किसी पक्ष विशेष के ति झुकाव था अथवा नाराजगी थी ?
	11. क्या संदर्भित विवरण ल`खक के अन्य लेखों से समानता रखता है या नहीं ?
	12. लेखक का अभिलेख तैयार करने का उद्देश्य क्या था?
	13. क्या लेखक का उद्देश्य किसी व्यक्ति का शस्ति गान करना था ?
	14. क्या लेखक ने किसी आदेश का अनुपालन करते हुए वर्णन किया है?

व्याख्या एवं संश्लेषण
(Interpretation and Synthesis)

ऐतिहासिक अनुसंधानकर्त्ता का यह कर्त्तव्य है कि वह पुराने प्रदत्तों की नवीन रूप से व्याख्या करे। अथवा नवीन ऐतिहासिक प्रदत्तों को एकत्रित करके यथासम्भव सर्वोत्तम ढंग से उनकी व्याख्या करे। इतिहास के निरीक्षण स्कूलों अथवा सिद्धान्तों की ऐसी व्याख्या का सामान्य आधार निम्नलिखित में से एक अवश्य होता है-

(1) जीवन गाथा अथवा महान् पुरुष सिद्धान्त - जिसका विश्वास है कि इतिहास के कारणात्मक कारक अतीत के महान् व्यक्तित्व ही होते हैं।

(2) आदर्शात्मक दर्शन कृ जो कि घटनाओं के क्रम को निर्धारित करने वाली प्रबल आध्यात्मिक शक्ति की खोज करता है।

(3) वैज्ञानिक और शिल्प - वैज्ञानिक सिद्धान्त जो कि मानवीय प्रगति को प्रत्यक्ष रूप से वैज्ञानिक और शिल्प-विज्ञान सम्बन्धी प्रगति से सह-सम्बन्धित करते हुए व्याख्या करता है।

(4) आर्थिक विचारधारा - जिसका विश्वास है कि सामाजिक और सांस्कृतिक प्रगति के प्रमुख निर्धारक तत्त्व आर्थिक परिस्थितियाँ होती हैं।

(5) भौगोलिक सिद्धान्त - जो कि प्रत्येक मानवीय क्रिया एवं घटना की पर्याप्त रूप से व्याख्या करने के लिए भौगोलिक परिस्थितियों पर बल देता है।

(6) समाजशास्त्रीय व्याख्या - जो सामूहिक जीवन के अध्ययन से संकलित सामान्यीकरणों को ऐतिहासिक प्रदत्तों में सम्मिलित करता है।

इस तथ्य की अवहेलना नहीं करनी चाहिए कि उपर्युक्त वर्णित व्याख्या की विशिष्ट विचारधाराओं में पारस्परिक निरपेक्षता नहीं है। इतिहास के सर्वोत्तम अध्ययनों में से अनेक व्याख्या की दृष्टि से सर्वमिश्रित अथवा संश्लेषित हैं। व्याख्या का आधुनिकतम एवं सर्वाधिक लोकि य सिद्धान्त जो अत्यधिक विस्त ृत एवं महत्त्वपूर्ण समझा जाता है, वह यह वि वास रखता है कि कारणों का कोई एक वर्ग नहीं, बल्कि किसी काल-विशेष का सामूहिक मनोविज्ञान ही ऐतिहासिक विकास की समस्त अवस्थाओं की व्याख्या कर सकता है। इस कार इस सिद्धान्त ने अपने लिए 'संश्लेषित (Synthetic), सर्वमिश्रित (Eclectic), बहुत्त्ववादी (Pluralistic) अथवा श्सामूहिक मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त (Collective psychological theory) आदि नाम अर्जित कर लिये हैं।

(1) आवश्यकता से अधिक सरलीकरण - अर्थात् यह समझने में असफलता किं घटनाओं के कारण बहुत एवं जटिल होते हैं, न कि एकल एवं सरल।

(2) आवश्यकता से अधिक सामान्यीकरण - अनुपयुक्त प्रमाणों एवं मिथ्या तर्क के आधार पर सामान्यीकरण करना जो अनावश्यक समानताओं पर आधारित हो ।

(3) पुराने समय में शब्द और अभिव्यक्तियों के जो अर्थ प्रचलित थे, उनकी व्याख्या करने में असफलता

(4) किसी परिस्थिति विशेष सन्दर्भ में महत्त्वपूर्ण और तुच्छ तथ्यों के मध्य भेद करने में असफलता अन्य क्षेत्रों के समान एक अच्छे शैक्षिक इतिहासवेत्ता को उपरोक्त दोषों से बचना चाहिए ।

ऐतिहासिक अनुसंधान के प्रकार
(Types of Historical Research)

ऐतिहासिक अनुसंधान जो अतीत से सम्बन्धित होता है और जो दूरदर्शिता में वर्तमान को देखने के साधन की तरह से अतीत को ढूँढ़ने का प्रयास करता है । शिक्षा जगत के लिए उपयोगी तथा लाभप्रद ऐतिहासिक अध्ययनों में निम्न प्रकार के अनुसंधान संभव होते हैं-

1. ग्रंथ सूची सम्बन्धी अनुसंधान (Bibliographic Research)
2. विचारों के इतिहास का अध्ययन (Studying the History of Ideas)

3. विधिक अनुसंधान अध्ययन (Legal Research Study)

4. संस्थानों एवं संगठनों के इतिहास का अध्ययन (Studying the History of Institutions and Organigations)

इनका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है-

ग्रंथ सूची संबंधी अनुसंधान (Bibliographic Research)- इस अनुसंधान का लक्ष्य महत्त्वपूर्ण शिक्षाविदों के जीवन के महत्त्वपूर्ण तथ्यों, चरित्र व उपलब्धियों को ज्ञात करना तथा उन्हें निष्ठापूर्वक प्रस्तुत करना है। भारतीय संग में गांधी जी, टैगोर व अन्य अग्रणी शिक्षाविदों के योगदान तथा तत्कालीन शिक्षा पद्धति व विचारों पर प्रभाव को पढ़ना उपयुक्त होगा ।

विधिक अनुसंधान अध्ययन (Legal Research Stuty) - शिक्षा प्रशासकों के लिए विधिक अनुसंधान अतिमहत्त्वपूर्ण व रुचिकर होता है। उसका उद्देश्य विभिन्न धर्मों व जातियों द्वारा संचालित शिक्षा संस्थाओं के विधिक आधार का अध्ययन, शिक्षा के संबंध में केन्द्रीय व राज्य सरकारों के संबंध, शिक्षकों व विद्यार्थियों की विधिक स्थिति, निजी वित्तीय पोषक स्कूलों का बंधन, स्कूल वित्त, विश्वविद्यालयों के प्रबंधन में विद्यार्थियों की भागीदारी, आदि हैं। विधिक अनुसंधान के लिए विधि क्षेत्र में विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है और बिना इस प्रशिक्षण के कोई भी विधिक अनुसंधान का पात्र नहीं हो सकता ।

विचारों के इतिहास का अध्ययन ((Studying the History of Ideas) - विचारों के इतिहास के अध्ययन में मुख्य दार्शनिक या वैज्ञानिक विचारों की उत्पत्ति से लेकर विकास के विभिन्न चरणों में अध्ययन जुड़ा है। इसका उद्देश्य किसी निर्दिष्ट काल में लोकप्रिय विचारों व अभिवृत्तियों में हुए बदलाव की खोज भी है। सामयिक संकल्पनाओं की उत्पत्ति, जैस टीम शिक्षा, समस्या समाधान उपागम, मास्टरी-अधिगम उपागम, आदि ऐतिहासिक अनुसंधान को महत्त्वपूर्ण विषय प्रदान करती है।

संस्थाओं व संगठनों के इतिहास का अध्ययन (Studying the History of Institutions and Organigations) - कुछ प्रमुख स्कूलों, वियश्वविद्यालयों व अन्य शिक्षा संस्थाओं के इतिहास अध्ययन सार्थक एतिहासिक अनुसंधान के लिए अनेक समस्याएँ प्रदान करते हैं। ऐसे इतिहास में वह सामान्य विधि अनुप्रयुक्त होती है जो शिक्षाविद के जीवन के अध्ययन में होती है। उदाहरण के लिए कोई विश्वभारती विश्वविद्यालय की प्रगति व विकास के इतिहास को पढ़ना चाहता है।

शिक्षा और मनोविज्ञान में ऐतिहासिक अनुसंधान के क्षेत्र

(Areas of Histiorical Research in the Field of Education and Psychology)

शिक्षा और मनोविज्ञान का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। अतः इन दोनों विषयों में ऐतिहासिक अनुसंधान की अपार सम्भावनाएँ हैं। इन दोनों क्षेत्रों में ऐतिहासिक अनुसंधान संभव है ।

1. प्राचीन शिक्षाशास्त्रियों के शैक्षिक विचार ।
2. प्राचीन मनोवैज्ञानिकों के कार्यों तथा विचारों का अध्ययन।
3. प्राचीन काल में शिक्षा तथा शिक्षा के विविध पक्षों का अध्ययन।
4. पुराने समय में प्रमापीकृत मनोवैज्ञानिक परीक्षणों की वर्तमान में वैधता, विश्वसनीयता तथा उप का पुनर्निर्धारण ।
5. प्राचीन काल में प्रचलित विभिन्न शिक्षा प्रणालियों का तुलनात्मक अध्ययन।
6. पुराने समय में विकसित विभिन्न मनोवैज्ञानिक सम्प्रदायों (Schools) के विचार, उनके प्रभाव वर्तमान में उनकी उपयोगिता आदि ।

7. शिक्षा व्यवस्था के क्रमिक विकास का इतिहास; जैसेकि नारी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, उच्च तथा समय-समय पर बनी शिक्षा सम्बन्धी नीतियों का अध्ययन।
8. प्राचीन काल में विकसित दार्शनिक विचारधाराओं का वर्तमान शैक्षिक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन
9. विभिन्न मनोवैज्ञानिक योगों का अध्ययन तथा उन प्रयोगों में सुधार की सम्भावना आदि।
10. किसी व्यक्ति विशेष की शिक्षा तथा इसके विभिन्न पक्षों का अध्ययन, जैसे- मुगल काल में शिक्षा या धार्मिक शिक्षा, बौद्ध काल में शिक्षा का प्रबन्धन, पाठ्यक्रम या जैन शिक्षा दर्शन आदि।

शिक्षा में ऐतिहासिक अनुसंधान का महत्त्व

(Importance of Historical Research in Education)

शिक्षा में ऐतिहासिक अनुसंधान का निम्नलिखित महत्त्व है ।

1. ऐतिहासिक अनुसंधान वर्तमान शैक्षिक एवं मनोवैज्ञानिक समस्याओं का हल ढूँढने में सहायक है।
2. ऐतिहासिक अनुसंधान भूतकालीन त्रुटियों से परिचित कराकर भविष्य के प्रति सतर्क करता ।
3. शिक्षा का इतिहास शैक्षिक पूर्वाग्रहों को समाप्त करने का सर्वशक्तिमान हल है।

4. इतिहास अतीत के शैक्षिक आदर्शों एवं स्तरों को प्रस्तुत करता है तथा सामाजिक कार्यकर्त्ताओं अतीत की त्रुटियों से बचने की सामर्थ्य प्रदान करता है।

5. ऐतिहासिक अनुसंधान शिक्षा एवं मनोविज्ञान के क्षेत्र में सिद्धान्त एवं क्रिया पक्ष की आलोचनात व्याख्या करता हुआ उनके वर्तमान स्वरूप की ऐतिहासिक एवं विकासात्मक स्थिति को स्पष्ट करता है।

6. ऐतिहासिक अनुसंधान शिक्षा तथा मनोविज्ञान के लिए वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत करता है।

7. ऐतिहासिक अनुसन्धान शिक्षाशास्त्रियों, मनोवैज्ञानिकों तथा शोधकार्य में लगे अन्य व्यक्तियों के प्रति सम्मान प्रकट करता है।

8. ऐतिहासिक अनसुधान द्वारा शिक्षकों या विद्यालय प्रशासकों को व्यावसायिक प्रशिक्षण की दृष्टि से विद्यालयों तथा अन्य शैक्षिक अभिकरणों के इतिहास का ज्ञान महत्वपूर्ण है।

9. शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक अनुसंधान समाज एवं विद्यालय के सम्बन्धों की व्याख्या करता है तथा मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में इसके कारकों का विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

ऐतिहासिक शोध-प्रबन्ध के मूल्यांकन के आधार
(Bases of Evaluation of Historical Research)

ऐतिहासिक शोध प्रबन्ध के मूल्यांकन के निम्नलिखित आधार हैं-

1. क्या समस्या स्पष्ट रूप से परिभाषित होती है?
2. क्या समस्या अनुसंधान योग्य है?
3. क्या शोध अध्ययन शोधकर्त्ता की क्षमता के अनुकूल है ?
4. क्या अध्ययन परिसीमित है?
5. क्या शोध प्रबन्ध की व्यवस्था तार्किक आधार पर है?
6. क्या निश्चित लेखक, स्थान और समय के अनुसार स्रोत का वर्गीकरण हुआ है?
7. क्या तथ्यों की समुचित व्याख्या की गई है?
8. क्या साधन उचित तथा विश्वयनीय है?
9. क्या पर्याप्त रूप से प्राथमित एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के साधनों का प्रयोग किया गया है?

10. क्या शोध प्रबन्ध भावी अनुसंधान हेतु सुझाव प्रस्तुत करते हैं?
11. क्या अध्ययन में समय एव श्रम का उचित ध्यान रखा गया है?
12. क्या कम से कम दो स्वतंत्र साक्षियों द्वारा तथ्यों की जाँच कर ली गयी है?
13. क्या लेखन की शैली प्रस्तुतीकरण करने के साथ-साथ आकर्षित करती है?

उपरोक्त तथ्यों का उत्तर प्राप्त करके किसी भी शोध प्रबन्ध का ऐतिहासिक मूल्यांकन किया जा सकता है।

ऐतिहासिक अनुसंधान की सीमाएँ (Limitations of Historical Research)

ऐतिहासिक अनुसंधान की निम्नलिखित सीमाएँ हैं-

1. ऐतिहासिक घटनाओं का कार्य-कारण के सम्बन्ध के आधार पर अध्ययन करना अत्यन्त कठिन है।
2. ऐतिहासिक अनुसंधान के वस्तुनिष्ठ अध्ययन में अनेक कठिनाइयाँ आती हैं ।

3. ऐतिहासिक अनुसंधान का सही अध्ययन एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण रखने वाला अन्य अनुसंधानकर्त्ता ही कर सकता है।

4. ऐतिहासिक अनुसंधान में किन लक्ष्यों व घटनाओं को ऐतिहासिक माना जाय, यह निर्धारण करना कठिन है।

5. ऐतिहासिक अनुसंधान में अनुसंधानकर्त्ता में पूर्वाग्रहों, वैयक्तिक विचार, धारणाओं तथा मान्यताओं के कारण पक्षपात की प्रबल संभावना रहती है।

6. ऐतिहासिक अनुसंधान सदैव ऐतिहासिक दृष्टिकोण रखकर ही सम्पादित किया जाए किन्तु ऐसा करना कठिन होता है ।

4. प्रदत्तों की आलोचना (Criticism of Data) यह देखा गया है कि ऐतिहासिक अनुसन्धान की प्र.ति के कारण ऐतिहासिक अनुसंधानकर्त्ता को अध्ययन हेतु विषय–वस्तु संकलित करने के लिए दूसरों के ज्ञात अथवा अज्ञात प्रमाणों पर निर्भर रहना पड़ता है। वह तब तक यह नहीं बता सकता कि उसके द्वारा संकलित प्रदत्त कितने वैध, विश्वसनीय अथवा सार्थक हैं जब तक कि वह सावधानीपूर्वक

निरर्थक, मिथ्या अथवा भ्रान्तिपूर्ण तथ्यों का सार्थक तथ्यों से विभेद न कर ले। जिसका उपयोग काम में आने वाले तथा विश्वसनीय दत्तों को प्राप्त करने हे ऐतिहासिक

अविश्वसनीयता को ज्ञात करता है तब उस समय आन्तरिक समालोचना ऋणात्मक आलोचना (Negative Criticism) और वाह्य समालोचना को (Positive Criticism) कहते हैं। इसी प्रकार जब अनुसन्धानकर्त्ता प्रत्येक अभिलेख की ऐतिहासिक प्रतिवेदन लेखन (Reporting of Findings) – ऐतिहासिक रचना एक संश्लेषणात्मक एवं रचनात्मक प्रक्रिया है, जिसमें प्रलेखन कला की यांत्रिक समस्या, प्रकरण तथा उपकरणों के चयन एवं संगठन की तर्कसंगत समस्या और व्याख्या की दार्शनिक समस्या सम्मिलित है।

THANK
YOU